न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 115/2011

आशा देवी वनाम गौरी देवी

आदेश

12.5.14 यह वाद आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्या–221/2013 में पारित आदेश जिसमें वाद को Remand किया गया है के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। संक्षेप में आवेदिका के अनुसार दिनांक– 09.04.2010 को सम्पन्न आम सभा में गलत मेधा सूची एवं जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर गौरी देवी का चयन किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 63/2010 दायर किया, जिसपर जिला पदाधिकारी, सहरसा अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत है।

"आवेदिका आशा देवी द्वारा प्रतिपक्षी गौरी देवी के अंक पत्र को जाली बतलाने पर बिहार संस्कृत शिक्षा, बोर्ड पटना से गौरी देवी के अंक पत्र का सत्यापन कराया गया। उक्त परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक 297 दिनांक–27.05.2011 से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में गौरी देवी का कुल प्राप्तांक 455 प्रतिवेदित कराया गया है, जो 65% होता है। इसी प्राप्तांक पर गौरी देवी का चयन/नियोजन हुआ है। इस तरह आवेदिका आशा देवी द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। आवेदिका के आवेदन को खारीज किया जाता है।" आवेदिका के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष ऑगनबाड़ी अपील वाद– 135/2011 दायर किया गया। जिसपर आयुक्त द्वारा दिनांक–10.11.2011 को निम्न आदेश पारित किया गया।

"The lawyer for appellant alleged that the marksheet obtained under RTI not considered by the D.M. The D.M. is directed to consider this part of evidence and pass a fresh order. The case is remanded."

उक्त आदेश के अनुपालन में जिला पदाधिकारी के न्यायालय में आंगनवाड़ी वाद संख्या– 115/2011 आशा देवी वनाम गौरी देवी दायर किया गया है, जिसमें इस न्यायालय से दिनांक– 26.04.2013 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत है।

"अपीलार्थी के अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिपक्षी गौरी देवी के चयन को रद्द किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) को निदेश दिया जाता है कि प्रतिपक्षी गौरी देवी के विरूद्ध जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चयन करवाने के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या–7 हेतु सेविका के चयन की कार्रवाई नये सिरे से करें।"

D:\AJEET\Asha Devi Order.doc

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 221/2013 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 10.05.2013 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश निम्नवत है।

"Heard the petition D.M has passed two order in different dates and contradicting order has been passed. Operating of previous Court is stayed and remanded to LC for fresh hearing."

उभय पक्षों को सुना एवं समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2354 दिनांक 17.05.2013 का अवलोकन किया। उक्त पत्र द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के नियोजन से संबंधित मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत जिला पदाधिकारी के स्थान पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। फलतः जिला प्रोग्राम ,पदाधिकारी, आ0सी0डी0एस0 को निदेश दिया जाता है कि मामले की नये सिरे से सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित करें। उक्त निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

17.5.14

जिला पदाधिकारी
सहरसा।